Tehqeeqi Pamphlet No. 1

अल्लाह त्आला

को उपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा?

आला हज़रत, मुफ्तीये आज़मे हिन्द, सदरुश्शरीया,
शारहे बुखारी, फकीहे मिल्लत, बहरुल उलूम,
हकीमुल उम्मत, फैज़े मिल्लत
रहीमहुमुल्लाह के फतावा

About Abde Mustafa Official

Abde Mustafa Official, Ek Team Ahle Sunnat Wa Jama'at Se Jiska Maqsad Quraano Sunnat Ki Khidmat, Ilme Deen Ki Isha'at Aur Islaahe Ummat

Website : abdemustafaofficial.blogspot.com

Email : Abdemustafa78692@gmail.com

Mobile no. : +919102520764 (WhatsApp, Telegram)

Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and Subscribe our YouTube Channel
(Search "Abde Mustafa Official" to find us)

Abde Mustafa Social Media Team

आज कल देखा जाता है कि कई लोग दौराने गुफ्तगू अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहते हैं, मसलन ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह मियाँ देने वाला है, ऊपर वाला हमारे साथ है वगैरा।

ये एक बहुत बड़ी गलती है जिस से बचना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहना सहीह नहीं है। कई उलमा -ए- किराम ने लिखा है कि अल्लाह त'आला को इस तरह पुकारना जाइज़ नहीं है, चुनाँचे कुछ उलमा के अक़वाल दर्जे ज़ेल हैं।

(1) आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मियाँ का इतलाक़ ना किया जाये कि वोह तीन माना रखता है। उन में से दो रब्बुल इज़्ज़त के लिये मुहाल है। मियाँ, आक़ा और शौहर और मर्द औरत में ज़िना का दलाल लिहाज़ा इतलाक़ मम्नूअ है और इस पर इफ्तिखार जहल।

(فتاوی رضویہ، ج14, 615)

(2) एक और जगह लिखते हैं कि, सवाल में इस्मे जलालत के साथ लफ्ज़ "मियाँ" मकतूब है, ये मम्नूअ वा मायूब है, ज़ुबान उर्दू में मियाँ के तीन माना हैं जिस में दो अल्लाह पर मुहाल हैं लिहाज़ा इस का इतलाक़ महमूद नहीं।

(ایضاً، ص276)

(3) मलफूज़ात -ए- आला हज़रत में भी है कि ज़ुबान उर्दू में मियाँ के तीन माना हैं, उन में से दो ऐसे हैं जिन से शाने उलूहियत पाक मुनज़्ज़ह है और एक का सिद्क़ हो सकता है तो जब लफ्ज़ दो खबीस मानों में और एक अच्छे माना में मुशतरिक़ ठहरा और शरअ में वारिद नहीं तो ज़ाते बारी पर इसका इतलाक़ मम्नूअ होगा। इस के एक माना मौला, अल्लाह त'आला बेशक़ मौला है, दूसरा माना शौहर के तीसरे माना ज़िना के दलाल के ज़ानी और ज़ानिया में मुतवस्सित हो।

(ملفوظات اعلی حضرت ،حصہ اول، ص174)

(4) खलीफा -ए- आलाहज़रत, सदरुश्शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह त'आला को मियाँ कहना नाजाइज़ है कि मियाँ का एक माना शौहर के है।

(فتاوی امجدیہ، ج4، ص418)

(5) मुफ्ती -ए- आज़म ए हिन्द, अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह त'आला, अल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह सुब्हानहु, अल्लाह अज़्ज़ा शानहु या जल्ला शानहु वगैरा कहना चाहिये, मियाँ ना कहना चाहिये। आवाम में ये लफ्ज़ बोला जाता है, उन्हें इस से एहतिराज़ करना चाहिये, तफसील के लिये अहक़ामे शरीअत देखें इसमें आला हज़रत ने मुफस्सल तहरीर फ़रमाया है। (मियाँ) बोलना गुनाह नहीं मगर ये लफ्ज़ उस की जनाब में बोलना बुरा है उस की शान व इज़्ज़त के लाइक नहीं।

(فتاوی مصطفویہ، ص32)

(6) शारेह बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि इस बारे में मुतक़द्दिमीन की किताबों में कुछ नहीं। मुजद्दिद -ए- आज़म, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने अपने फतावा में इरशाद फ़रमाया है कि अल्लाह अज़्ज़वजल को मियाँ कहना मना है, वजह यह है कि मियाँ के तीन माना हैं, मालिक शौहर और ज़िना का दलाल और जिस लफ्ज़ के चंद माना हों और कुछ मानी खबीस हों और वो लफ्ज़ शरअ में वारिद ना हो तो उस का इतलाक़ अल्लाह अज़्ज़वजल पर मना है।
अल्लामा शामी ने फ़रमाया :

ایہام معنی المحال کاف للمنع (رد المحتار، ج9، ص567)

इस की मिसाल "राइना" है, हुज़ूर ﷺ के इरशादात जब सहाबा -ए- किराम अच्छी तरह सुन ना पाते या समझ ना पाते तो अर्ज़ करते "राइना" यानी हमारी रियायत फरमायें। यहूद की लुगत में राइना के माने बेवक़ूफ के हैं। यहूद भी राइना, राइना कहने लगे और वो उस मानी खबीस की निय्यत से कहते थे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने राइना कहने से सहाबा -ए- किराम को मना फ़रमाया और हुक़्म हुआ कि उन्ज़ुरना कहो। इसी तरह यहाँ भी खतरा है। आप अल्लाह अज़्ज़वजल्ल को मियाँ कहें, आप की निय्यत मालिक की होगी लेकिन कोई दहरिया बे दीन दूसरे खबीस माने की निय्यत से कहे तो कौन रोकेगा, वोह कह देगा कि आप भी तो कहते हैं इस किये ऐसे अलफाज़ के इस्तिमाल की इजाज़त नहीं।

(فتاوی شارح بخاری، ج1، ص137)

(7) आप रहीमहुल्लाह एक दूसरी जगह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल्ल पर लफ्ज़ मियाँ के इतलाक़ को हराम किसी ने भी नहीं लिखा है। सिर्फ मम्नूअ लिखा है। और हर मम्नूअ हराम नहीं होता, मम्नूअ मकरूहे तन्ज़ीही को भी शामिल है बल्कि हज़रत मुफ्ती -ए- आज़म -ए- हिन्द ने अपने फतावा में तशरीह फरमाई है "गुनाह नहीं मगर ये लफ्ज़ उस की जनाब में बोलना बुरा है। उस की शान व इज़्ज़त के लाइक नहीं।

(ایضاً، ص138)

(8) हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल हुसैन नूरानी रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अल्लाह त'आला ज़माँ व मकान से पाक है, क्योंकि अल्लाह त'आला खालिक़ है और ज़माँ वा मकान मखलूक़ है।
अल्लामा अली बिन सुल्तान मुहम्मद अल क़ारी अलैहिर्रहमा लिखते है :

انہ سبحانہ لیس فی مکان ولا فی زمان من الازمنۃ لان الزمان والمکان من جملۃ المخلوقات وھو سبحانہ کان موجودا فی الازل ولم یکن معہ شیء من الموجودات (شرح الفقہ الاکبر، ص35)

यानी अल्लाह अज़्ज़वजल किसी मुअय्यन जगह और ज़माने के साथ मुत्तशिफ होने से पाक है क्योंकि ज़माना और जगह मखलूक में से है जब कि अल्लाह त'आला की ज़ात अज़ल से है यानी उस वक़्त से जब ज़माना और जगह और कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी।

अल्लामा फज़्ले रसूल बदायूनी अलैहिर्रमा लिखते हैं :

لما ثبت انتفاء الجسمیۃ بالمعنی المذکور ثبت انتفاء لوازمھا فلیس سبحانہ بذی لون ولا رائحۃ ولا صورۃ ولا شکل ولا متناہ ولا حال فی شیء ولا محل

(المعتقد المنتقد، ص65)

यानी जब अल्लाह त'आला का जिस्म से पाक होना साबित हो गया तो जिस्म की लवाज़िमात से पाक होना भी साबित हो गया लिहाज़ा अल्लाह अज़्ज़वजल किसी क़िस्म की रंगत, महक, शक़्ल व सूरत से पाक है। ना इस की कोई इन्तिहा है ना किसी चीज़ के अन्दर हुलूल किये हुये है और ना वोह किसी मुअय्यन जगह से मुत्तसिफ है।

हमारे ज़माने में लोग अल्लाह त'आला के लिये उमूमन "ऊपर वाला" के लफ्ज़ इस्तिमाल कर जाते हैं (मसलन कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है) या अल्लाह के किसी क़ौल को बयान करते हुये आसमान की तरफ़ इशारा करते हैं या फरियाद और दुआ करते हुये आसमान की तरफ़ देखते हैं, उन तमाम सूरतों में लोगों का अक़ीदा और मक़सद अल्लाह त'आला की बुलंदी को ज़ाहिर करना होता है। अगर वाक़ई ऐसा है तो ये कुफ्र नहीं है वरना आसमान की तरफ़ हाथ उठा कर दुआ करना भी मम्नूअ हो जायेगा।

अल्लामा फज़्ले रसूल लिखते हैं :
आसमान अगर्चे बुलंदी की एक जगह है लेकिन लोग उस की तरफ हाथ उठा कर इसलिये दुआ करते हैं कि वो दुआ का क़िब्ला है जिस तरह काबा शरीफ़ नमाज़ का क़िब्ला है जब कि जिस की इबादत हो रही है वो क़ाबा में या आसमानों में ठहरने से पाक है।

(ایضاً، ص66)

अगर कोई अल्लाह त'आला को ऊपर वाला कहता है तो फौरन उसे काफिर नहीं कहा जायेगा जब तक कि तहक़ीक़ ना हो जाये कि उस ने अपने जुमले से क्या मुराद लिया है।

हज़रत मुआविया बिन हक़म रदिअल्लाहु त'आला अन्हु अपनी बान्दी को ले कर हुज़ूर ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुये। आप ﷺ ने उस बान्दी से उस की ईमान की तहक़ीक़ के लिये पूछा कि अल्लाह कहाँ है?
उस ने कहा आसमान में। आप ﷺ ने पूछा कि मै कौन हूँ?
उस ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुज़ूर ने हज़रत मुआविया से फरमाया कि इस को आज़ाद कर दो, ये मुसलमान है।

(سنن ابوداؤد ، ر930)

इस हदीस में बान्दी ने कहा कि "आसमान में" और इस से बान्दी का मक़सद जहत और जगह का तैय्युन नहीं था बल्कि ये बताना था कि ज़मीन बल्कि ज़मीन की तरह आसमान में भी उस की इबादत की जाती है। चूँकि उस का मक़सद जगह का तय्युन नहीं था इसलिये नबी -ए- करीम ﷺ ने उसे मुसलमान क़रार दिया। हाँ अगर किसी शख्स का मक़सद अल्लाह अज़्ज़वजल्ल के लिये जगह को साबित करना हो तो ऐसे शख्स को तौबा और तजदीदे ईमान का हुक्म दिया जायेगा। हज़रत अल्लामा अमजद अली आज़मी रहीमहुल्लाह त'आला फतावा क़ाज़ी खान के हवाले से लिखते हैं कि खुदा के लिये मकान (जगह) साबित करना कुफ्र है कि वोह मकान से पाक है। ये कहना कि ऊपर खुदा है नीचे तुम, ये कलिमए कुफ्र है।

(بہار شریعت) (انوار الفتاوی، ص98)

(9) एक और मकाम पर लिखते हैं कि अल्लाह त'आला को मियाँ कहना दूरुस्त नहीं है। उलमा ने इस से बहुत मुमानिअत फरमायी है।

(فتاوی امجدیہ، ج4، ص418)

मियाँ का एक माना शौहर भी है और अल्लाह अज़्ज़वजल्ल की तरफ ऐसे लफ्ज़ की निस्बत करना दुरुस्त नहीं है, जिस में अल्लाह अज़्ज़वजल्ल की शान के नामुनासिब माना का शैबा मौजूद हो।

(ایضاً، ص100)

(10) बहरुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान रज़वी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह त'आला के लिये मियाँ लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिये कि इस लफ्ज़ के ऐसे माना भी आते हैं जिन का इतलाक़ बारी त'आला पर जाइज़ नहीं।

(فتاوی بحر العلوم، ج5، ص306)

(11) फ़क़ीहे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला बोलना कुफ्र है क्योंकि इस से जहत का सबूत होता है और उस की ज़ात जहत से पाक है जैसा कि अल्लामा सअदुद्दीन तफतज़ानी अलैहिर्रहमा ने तहरीर फरमाया :

اذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جھۃ لا علو لا سفل ولا غیرھما

(شرح عقائد نسفی, ص33)

लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह त'आला को ऊपर वाला बुलंदी व बरतरी के मानी में कहे तो उसे काफिर ना कहेंगे मगर इस को बुरा ही जानेंगे और क़ाइल को इस से रोकेगे।

(فتاوی فیض الرسول، ج1، ص44)

(12) हक़ीमुल उम्मत, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अल्लाह त'आला को मियाँ नहीं कहना चाहिये क्योंकि उर्दू में मियाँ मालिक को भी कहते हैं और शौहर को भी, शौहर होने से अल्लाह पाक है। जिस लफ्ज़ में अच्छे बुरे दोनों तरह के मानी हो उस का इस्तिमाल हक़ त'आला के लिये नहीं करना चाहिये। नबी -ए- करीम ﷺ की बारगाह में लफ्ज़ राइना बोलने से रोका गया था क्योंकि इस के दो माने हैं, एक अच्छा और एक बुरा तो जब बारगाह -ए- रिसालत में मुश्तरिक़ लफ्ज़ का इस्तिमाल जाइज़ नहीं तो फिर ज़ाते बारी त'आला तो अरफ़ा व आला है।

(فتاوی نعیمیہ، ص107، ملخصًا)

(13) फ़ैज -ए- मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैज अहमद ओवैसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह त'आला को मियाँ कहना नामुनासिब है क्योंकि हमारे उर्फ में मियाँ कहीं बाप को कहीं शौहर को कहा जाता है। उर्फ शरअ पर गलबा रखता है चुनाँचे अल्लामा शामी रहीमहुल्लाह ने इस मौज़ू पर मुस्तक़िल एक किताब बनाम "नशरुल उर्फ़" लिखी है। ये लफ्ज़ अल्लाह त'आला के लिये नहीं इस्तिमाल करना चाहिये अगरचे इन दोनों मानों में "अल्लाह मियाँ" ना कहें लेकिन ताहम उर्फ के खिलाफ है इस लिये ऐसे लफ्ज़ से एहतिराज़ लाज़िम है।

(فتاوی اویسیہ، ج1، ص27)

(14) हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब लिखते हैं कि सूरह बनी इसराईल की आयत नम्बर 110 में इरशादे बारी त'आला है :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

तर्जुमा : ए रसूल आप कह दीजिये कि तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो जिस नाम से भी आप पुकारो, उस के सब ही नाम अच्छे हैं।

अल्लाह त'आला की ज़ात को ताबीर करने के लिये इस्मे ज़ात "अल्लाह" है। इस के करीबतर सिफती नाम "रहमान" बाकी इस के बहुत से सिफती नाम हैं जो क़ुरआन व हदीस में मज़कूर हैं, मसलन सत्तार, गफ्फार, रऊफ, रहीम वगैरा। अल्लाह त'आला की ज़ात को ताबीर करने के लिये जो भी अस्मा, सिफात और कलिमात इस्तिमाल किये जायें उन के लिये ज़रूरी है कि ज़ाते बारी त'आला के शायाने शान हो। "मियाँ" और "साँई" ऐसे कलिमात अल्लाह त'आला की ज़ात के शायाने शान नहीं हैं क्योंकि अगर्चे इस्तिमाल करने वाला उन्हें अच्छे मानों में इस्तिमाल कर रहा हो लेकिन उन कमतर मानी का वहम पैदा हो सकता है इसी लिये अल्लाह त'आला के इस्मे जलालत के साथ उन कलिमात का इस्तिमाल दूरुस्त नहीं है बल्कि अल्लाह त'आला, अल्लाह जल्लाशाना और अल्लाह सुब्हानहू व त'आला या बारी त'आला कलिमात इस्तिमाल करने चाहिये।

ज़ेल में हम क़ुतुबे लुगत के हवाले से लफ्ज़ "मियाँ" और "साँई" के मानी दर्ज कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइये :

मियाँ : उर्दू ज़ुबान में शौहर, ख्वाजा सरा, एक कलिमा जिस से बराबर वाले या अपने से कम दर्जा शख्स को खिताब करते हैं, बेटा वगैरा मानों में भी इस्तिमाल होता है।

(قائد اللغات، فیروز اللغات)

साँई : खाविन्द, फक़ीर, भिखारी वगैरा में इस्तिमाल होता है।

(قائد اللغات)

इस मानी से आप बखूबी अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि ये अल्लाह त'आला के शायाने शान नहीं हैं, इन में से बाज़ मानी ऐसे हैं जो ज़ाते बारी त'आला के लिये नुक़्स और इहानत का पहलू रखते हैं लिहाज़ा हमारी राय में "अल्लाह मियाँ" और "अल्लाह साँई" ऐसे कलिमात बोलने से बिल्कुल गुरेज़ करना चाहिये और अपने घरों, दफतर, मजलिस और अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू में अल्लाह का ज़िक्र करते वक़्त इस से अहतियात पुरअमल करना चाहिये। अल्लाह त'आला की शाने जलालत बहुत बुलन्दतर है। वो हर नुक़्स, ऐब और कमज़ोरी से पाक है। इरशादे बारी त'आला है :

سبحن ربک رب العزۃ عما یصفون (الصافات)

"आप का रब जो बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस ऐब से पाक है जो वो बयान करते हैं।"

ज़ाते पाक रिसालते म'आब ﷺ के लिये भी अल्लाह जल्लाशाना ने ऐसा दो मानी कलिमा इस्तिमाल करने से मना फ़रमाया है जिस के मानी शाने रिसालत के मुताबिक ना हों, ख्वाह इस्तिमाल करने वाले की निय्यत भी दुरुस्त हो लेकिन इस से कोई बदनिय्यत, बदमज़हब और बदतीनत शख्स दूर का ऐसा मानी मुराद ले सकता है, जिस से इहानत और बेअदबी का पहलू निकलता हो।

अल्लाह त'आला का इरशाद है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ
اسْمَعُوْا ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (البقرة:104)

"ए ईमान वालों! (अगर दौराने कलाम रसूल -ए- करीम ﷺ को अपनी जानिब मुतवज्जेह करना चाहो तो) राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और (अदब का तकाज़ा ये है कि रसूलुल्लाह ﷺ की बात को) खूब तवज्जो से सुनो (ताकि उन्हें दोबारा बताने की ज़हमत ना देनी पड़े)"।

(تفہیم المسائل، ج1، ص29)

मज़्कूरा फतावा से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह मियाँ कहना जाइज़ नहीं है बल्कि बाज़ सूरतों में खतरनाक भी साबित हो सकता है। मियाँ कहना हराम तो नहीं है लेकिन मना है क्योंकि इस के मानी में बुरे मानी भी मौजूद हैं जिन का इतलाक़ ज़ाते बारी त'आला पर हरगिज़ जाइज़ नहीं है। अल्लाह त'आला को ऊपर वाला कहना शख्त नाजाइज़ है क्योंकि इस से जहत का सबूत होता है और अल्लाह त'आला ऊपर या नीचे होने से पाक है। हमें अल्लाह त'आला को उन नामों के साथ पुकारना चाहिये जो शरअ में वारिद हैं या जिसे उलमा ने पसंद फ़रमाया है और ऐसे नामों से बचना चाहिये जिन में तौहीन का शैबा भी मौजूद हो।

Our Other Pamphlets

Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa?
(In Urdu And Roman Urdu)
Hazrate Owais Qarni Ke Daant
Karbala Se Mutalliq Kuchh Jhoote Waqiyaat
Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna
Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal
Hazrate Bilal Ka Rang Kaala Nahin Tha
Furooyi Ikhtelafaat Rahmat Hain
Shabe Meraj Huzoor Ghause Paak
Shabe Meraj Nalain Arsh Par
Bahaar -e- Tehreer (5 Parts)
Bahaar -e- Tehreer (Colorful Edition)
More Pamphlets Coming Soon
(In Four Different Languages)